


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—: अनापत्ति प्रमाण पत्र :—

निम्न लिखित हिन्दी व्याख्याताओं द्वारा उनके नाम के आगे अंकित परीक्षा / पद हेतु विज्ञापित भर्तियों में सम्मिलित होने हेतु विभाग से अनापत्ति चाही हैं । यदि इनका उक्त पद हेतु चयन हो जाता है तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं है —

क्रसं	नाम मय पद स्थापन स्थान (राउमावि)	जन्म तिथि	सम्मिलित होने वाली परीक्षा / पद हेतु आवेदन एवं साक्षात्कार
1	तरुणा शाक्य, राजोला-सोजत-पाली	29/01/1981	प्रधानध्यापक परीक्षा 2018
2	सुरेन्द्र सिंह चारण, भूती, जालोर	20.03.1975	प्रधानध्यापक परीक्षा 2018


यदि इनका चयन उक्त सेवा में हो जाता है तो इन्हें विभाग छोड़ने से पूर्व पुनः अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य है ।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कमोंक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/अनापत्ति/10915/08-09/वो-II दिनोंक:-28.08.2019

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय स्कूल शिक्षा
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. सिंस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ
5. संबंधित संस्था प्रधान/ कार्मिक
6. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—: अनापत्ति प्रमाण पत्र :-

निम्न लिखित हिन्दी व्याख्याताओं द्वारा उनके नाम के आगे अंकित परीक्षा / पद हेतु विज्ञापित भर्तियों में सम्मिलित होने हेतु विभाग से अनापत्ति चाही हैं । यदि इनका उक्त पद हेतु चयन हो जाता है तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं हैं -


क्रसं	नाम मय पद स्थापन स्थान (राजमावि)	जन्म तिथि	सम्मिलित होने वाली परीक्षा / पद हेतु आवेदन एवं साक्षात्कार
1	लखा सिंह गुर्जर, भैसेडा-पहाडी-भरतपुर	01/07/1982	प्रधानध्यापक परीक्षा 2018
2	लीला सुखाडिया, भागल सेपटा- जालोर	20/07/1979	प्रधानध्यापक परीक्षा 2018
3	बीजाराम, बा0 जसवन्तपुरा - जालोर	01/05/1981	प्रधानध्यापक परीक्षा 2018

यदि इनका चयन उक्त सेवा में हो जाता है तो इन्हें विभाग छोडने से पूर्व पुनः अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य हैं ।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कमॉक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/अनापत्ति/10915/08-09/वो-11 दिनोंक:-27.08.2019
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. संबधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
2. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय स्कूल शिक्षा
3. संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. सिंस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ
5. संबधित संस्था प्रधान/ कार्मिक
6. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

श्रीमती इन्दू गौड़, प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) अंग्रेजी, राबाउमावि किसान कन्या, जोधपुर जन्म तिथि 06.06.1967 को विदेश यात्रा हेतु दिनांक 04.09.2019 से 11.09.2019 तक (कुल 08 दिवस) (U.A.E.) दुबई विदेश यात्रा जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है :-

1. कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
2. कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे। अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
4. विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. सक्षम अधिकारी विदेशयात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंवे :-
 - (i) कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
 - (ii) कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तान्तरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
 - (iii) कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
 - (iv) कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
6. विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
7. विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
9. विदेश प्रवास के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
11. विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।




(नथमल डिडेल)

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/विदेश यात्रा-एनओसी/2019 दिनांक-28/8/2019
प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) जोधपुर
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, एवं पदेन बीआरसीएफ समग्र शिक्षा अभियान, जोधपुर शहर
4. प्रधानाचार्य, राबाउमावि किसान कन्या, जोधपुर
5. सिस्टम एनेलिसिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।
6. श्रीमती इन्दू गौड़, प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) अंग्रेजी, राबाउमावि किसान कन्या, जोधपुर
7. रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर